अनुदान संख्या 2 – कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग
GRANT No. 2–DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted–					
मूल	Original	2680,00,00		2982,65,00	2963,95,10	–18,69,90
पूरक	Supplementary	302,65,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					13,34,00

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head					
मुख्य शीर्ष ''3451'' सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat – Economic Services					
मू.	O.	175.00		282.00	246.98	–35.02
पू.	S.	107.00				
मुख्य शीर्ष ''2415'' कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	Major Head "2415" Agricultural Research and Education					
मू.	O.	250225.00		296648.00	296148.12	–499.88
पू.	S.	29788.00				
पु.	R.	16635.00				
मुख्य शीर्ष ''2552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas					
मू.	O.	17600.00		1.00	. .	–1.00
पू.	S.	370.00				
पु.	R.	–17969.00				

(I) 17985.75 लाख रु. का प्रावधान (फरवरी, 2009 में प्राप्त किए गए 1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) दस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 17969.30 लाख रु. मुख्य शीर्ष ''2552'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) ''फसल कृषि कर्म - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता'' -

(क) ''बागवानी संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें'' - 200.00 लाख रु.;

(ख) ''कृषि विस्तार संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें'' - 2000.30 लाख रु.;

(खा) ''मृदा एवं जल संरक्षण - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता - कृषि वन अनुसंधान और शिक्षा स्कीमों सहित अन्य प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें'' - 1000.00 लाख रु.;

(गा) ''पशुपालन - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता - डेरी अनुसंधान संस्थान और स्कीमों सहित पशु विज्ञान संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें'' - 1000.00 लाख रु.; और

(घा) ''सामान्य (कृषि अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें) - केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल को सहायता अनुदान'' - 13769.00 लाख रु. (अक्तूबर, 2008 में प्राप्त किए गए 369.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित) थे।

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) अक्तूबर, 2008 और फरवरी, 2009 में निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(I) Provision of Rs.17985.75 lakhs (including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh obtained in February, 2009) remained wholly unutilised under ten heads; of these Rs.17969.30 lakhs accounted for under Major Head "2552" – under the following heads:-

(A) "Crop Husbandry- Assistance to I.C.A.R." -

(a) "Horticulture Institutes, Research and Education Schemes" – Rs.200.00 lakhs;

(b) "Agricultural Extension Institutes, Research and Education Schemes" - Rs.2000.30 lakhs;

(B) "Soil and Water Conservation –Assistance to I.C.A.R. - Other Natural Resource Management Institutes, Research and Education Schemes including Agro-Forestry Research and Education Schemes" – Rs.1000.00 lakhs;

(C) "Animal Husbandry- Assistance to I.C.A.R. - Animal Science Institutes, Research and Education Schemes including Dairy Research Institutes and Schemes" - Rs.1000.00 lakhs; and

(D) "General (Agricultural Research and Education Schemes) - Grants-in-aid to Central Agricultural University, Imphal" - Rs.13769.00 lakhs (including supplementary grant of Rs.369.00 lakhs obtained in October, 2008).

Provisions under the above five heads remained unutilised due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) Supplementary grants obtained in October, 2008 and February, 2009 under the following major heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(का) मुख्य शीर्ष ''3451'' - ''सचिवालय - कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग'' के अंतर्गत 175.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 107.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 282.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण 35.02 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2415'' - ''फसल कृषि कर्म - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता - फसल विज्ञान संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें'' - 53592.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 6649.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 60241.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो ''फसल विज्ञान'' की उप-स्कीमों को व्यय वित्त समिति और आर्थिक कार्यों की मंत्रिमंडल समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण 1150.00 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(III) मुख्य शीर्ष ''2415'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत भी हुईं:-

(का) ''फसल कृषि कर्म - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता - कृषि उत्पाद अधिनियम, 1940 के अधीन उपकर की निवल आय की अदायगी'' - 717.66 लाख रु. की बचत (1400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कृषि उत्पाद उपकर अधिनियम 1940 के निरस्त कर दिए जाने की वजह से नई परियोजनाओं/स्कीमों को स्वीकृति प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(खा) ''सामान्य - अंतर्राष्ट्रीय सहयोग - अन्य कार्यक्रम'' - 425.56 लाख रु. की बचत (1100.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यय वित्त समिति द्वारा प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(IV) एक शीर्ष के अंतर्गत 51.71 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 14 प्रतिशत थी।

2.(1) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (10363.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष ''2415'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों

(A) Major Head "3451" – "Secretariat – Department of Agricultural Research and Education" – the original provision of Rs.175.00 lakhs was augmented to Rs.282.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.107.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.35.02 lakhs – due to non-filling up of vacant posts.

(B) Major Head "2415" - "Crop Husbandry – Assistance to I.C.A.R. - Crop Science Institutes, Research and Education Schemes" - the original provision of Rs.53592.00 lakhs was augmented to Rs.60241.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.6649.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.1150.00 lakhs - due to non-approval of sub-schemes of 'Crop Science' by Expenditure Finance Committee and Cabinet Committee on Economic Affairs.

(III) Under Major Head "2415" – savings also occurred under the following heads:-

(A) "Crop Husbandry – Assistance to I.C.A.R. – Payment of Net Proceeds of Cess under Agricultural Produce Act, 1940" - saving of Rs.717.66 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1400.00 lakhs) was due to non-approval of new projects/schemes owing to the A.P. Cess Act, 1940 since repealed.

(B) "General – International Co-operation - Other Programmes" - saving of Rs.425.56 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1100.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals by Expenditure Finance Committee.

(IV) Under one head saving of Rs.51.71 lakhs occurred constituting 14 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (Rs.10363.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported

के अंतर्गत फरवरी, 2009 में 88.58 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) ''फसल कृषि कर्म - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता'' -

(क) ''बागवानी संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें'' - 200.00 लाख रु.।

(ख) ''कृषि, बौद्धिक संपत्ति अधिकार प्रबंधन में कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड और सूचना और प्रकाशन निदेशालय सहित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय प्रशासन'' - 1863.00 लाख रु.।

(ग) ''कृषि विस्तार संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें'' - 3400.00 लाख रु.।

(घ) ''कृषि शिक्षा संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें'' - 3000.00 लाख रु.।

(खा) ''मृदा और जल संरक्षण - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता - कृषि वन अनुसंधान एवं शिक्षा स्कीमों सहित अन्य प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें'' - 900.00 लाख रु.।

(गा) ''पशुपालन - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता - डेरी अनुसंधान संस्थानों और स्कीमों सहित पशु विज्ञान संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें'' - 1000.00 लाख रु.।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष ''2415'' - ''सामान्य - अन्य संस्थाओं को सहायता - केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल को सहायता अनुदान'' के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं - 8033.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.88.58 lakhs in February, 2009 under Major Head "2415" - under the following heads:-

(A) "Crop Husbandry – Assistance to I.C.A.R." -

(a) "Horticulture Institutes, Research and Education Schemes" -Rs.200.00 lakhs.

(b) "ICAR Headquarter Administration including Agricultural Scientists Recruitment Board and Directorate of Information and Publication in Agriculture, Intellectual Property Rights Management" - Rs.1863.00 lakhs.

(c) "Agricultural Extension Institutes, Research and Education Schemes" - Rs.3400.00 lakhs.

(d) "Agricultural Education Institutes, Research and Education Schemes" - Rs.3000.00 lakhs.

(B) "Soil and Water Conservation – Assistance to I.C.A.R. - Other Natural Resource Management Institute, Research and Education Schemes including Agro - Forestry Research and Education Schemes" - Rs.900.00 lakhs.

(C) "Animal Husbandry- Assistance to I.C.A.R. - Animal Science Institutes, Research and Education Schemes including Dairy Research Institutes and Schemes" – Rs.1000.00 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2415" – "General - Assistance to Other Institutions – Grants-in-aid to Central Agricultural University, Imphal" – excess of Rs.8033.00 lakhs (against nil provision) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.